



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-7423/MP/257/2026-RU-I

दिनांक: 05.06.2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-गुना,
कलेक्टर कार्यालय,
गुना-473001, मध्य प्रदेश
ईमेल - dmguna@nic.in

वन मंडलाधिकारी,
गुना वन मण्डल, मध्य प्रदेश
कार्यालय वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, गुना-473001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dfot.gun@mp.gov.in

विषय: वन भूमि पर विगत 25-26 वर्षों से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे भिलाला जनजाति समुदाय के परिवारों को बेदखल किए जाने एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने संबंधी श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य निवासी ग्राम आँखवारी एवं केमवारी, तहसील-बामोरी, जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105 का अभ्यावेदन दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में।


संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11.05.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 16.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य,
निवासी ग्राम आँखवारी एवं केमवारी,
तहसील-बामोरी, जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-7423/MP/257/2026-RU-I

दिनांक: 11.05.2026

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-गुना,
कलेक्टर कार्यालय,
गुना-473001, मध्य प्रदेश
ईमेल - dmguna@nic.in

वन मंडलाधिकारी,
गुना वन मण्डल, मध्य प्रदेश
कार्यालय वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, गुना-473001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dfot.gun@mp.gov.in

विषय: वन भूमि पर विगत 25-26 वर्षों से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे भिलाला जनजाति समुदाय के परिवारों को बेदखल किए जाने एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न किए जाने संबंधी श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य निवासी ग्राम आँखवारी एवं केमवारी, तहसील-बामोरी, जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105 का अभ्यावेदन दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य निवासी से दिनांक 09.04.2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री मुलेश भिलाला एवं अन्य निवासी,
ग्राम-आँखवारी एवं केमवारी,
तहसील-बामोरी,
जिला-गुना, मध्यप्रदेश-473105

13319 / 13323 / 13390
13-05-2026

9/c

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

